उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-12/2020/952/तीस-4-2020-8(19)/2018टी0सी0
लखनऊ: दिनांक: 01 अक्टूबर, 2020

अधिसूचना

शुद्धि-पत्र

उत्तर प्रदेश शासन के परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-2/2020/576/तीस-4-2020-8 (19)/2018टीसी, दिनांक 23.06.2020 द्वारा सरकारी गजट उत्तर प्रदेश के असाधारण, विधायी परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित हिन्दी पाठ में **'संशोधन'** शीर्षक के अन्तर्गत अंकित ''पूर्वोक्त अधिसूचना में, द्वितीय परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात:-'' को निम्नानुसार पढ़ा जाय:-

''पूर्वोक्त अधिसूचना में, प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात:-''

आज्ञा से,

(राजेश कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-12/2020/952(1)/तीस-4-2020-8(19)/2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-12/2020/952(2)/तीस-4-2020-8(19)/2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को प्रदेश के 02 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उनकी प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-12/2020/952(3)/तीस-4-2020-8(19)/2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
3- अध्यक्ष, स्टेट ट्रासंपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय/वित्त/औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से सम्पर्क स्थापित कर उक्त अधिसूचना को प्रदेश के 02 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु किसी अभिज्ञ अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
7- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
8- समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
9- विधायी अनुभाग-1
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.12/2020/952/xxx-4-2020-8(19)-2018TC, dated 01 October, 2020 for general information.

NOTIFICATION

CORRIGENDUM

No.12/2020/952/xxx-4-2020-8(19)2018TC
Lucknow: Dated 01 October, 2020

In the notification no.2/2020/576/xxx-4-2020-8(19)-2018TC, Dated June 23, 2020 of the Transport section-4, Government of Uttar Pradesh which was published in U.P. Government Gazette, a sentence "In the aforesaid notification after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-" printed under the heading **'Amendment'** be read as follows:-

"In the aforesaid notification, in place of the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-"

By order,

(Rajesh Kumar Singh)
Principal Secretary

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।